

सं. डब्ल्यू-02/0008/2023-डीपीई (मजूरी कक्ष)

वित्त मंत्रालय
लोक उद्यम विभाग

लोक उद्यम भवन,
ब्लॉक सं.14, सीजीओ कॉम्प्लेक्स,
लोधी रोड, नई दिल्ली - 110003
दिनांक: 03.11.2023


परिपत्र

विषय: डीपीई द्वारा जारी दिशा-निर्देश - उनके कार्यान्वयन के संबंध में।

इस विभाग के संज्ञान में आया है कि केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (सीपीएसई) में अधिकारियों के लिए घरों को पट्टे पर देने संबंधी उसके दिशानिर्देशों का सीपीएसईज़ द्वारा कड़ाई से पालन नहीं किया जा रहा है। भारत के लोकपाल की माननीय खंडपीठ ने यह देखा है कि घरों को पट्टे पर देने संबंधी दिनांक 05.06.2003, 04.08.2017 और 23.07.2018 के डीपीई के स्पष्ट दिशानिर्देश होने के बावजूद, सीपीएसईज़ द्वारा उनका पालन नहीं किया जा रहा है। सीपीएसईज़ और उनके प्रशासनिक मंत्रालयों की जिम्मेदारी है कि वे यह सुनिश्चित करें कि इस तरह की चूक न हो।

डीपीई के दिनांक 05.06.2003, 04.08.2017 और 23.07.2018 के कार्यालय ज्ञापन का कड़ाई से अनुपालन के लिए इसके साथ संलग्न किया गया है।

इसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।


(नरेश कुमार)
अवर सचिव

सेवा में,

1. सभी प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों के सचिव।
2. सभी सीपीएसईज़ के सीएमडी

प्रतिलिपि:

राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, लोक उद्यम विभाग को इस अनुरोध के साथ कि इस परिपत्र को लोक उद्यम विभाग की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाए।